बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-01/2016/........................ /पटना, दिनांक..................,..

प्रेषक,

प्रमोद कुमार वर्मा,
निदेशक,
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, सारण एवं सहरसा।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ), गया, अरबल, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, बेगुसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, पूणियाँ, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना भिन्न बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय के वहन हेतु राशि भुगतान के लिए आवंटन के संबंध में। कुल आवंटित राशि ₹ 1,06,89,400/-(एक करोड़ छः नवासी हजार चार सौ) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 को स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है।

2. वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-09/2014-2793/वी० दिनांक 04.04.2016 के आलोक में 01 अप्रैल 2016 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में प्रावधानित राशि से योजना/गैर योजना मद में 33% के अन्तर्गत राशि आबंटित/व्यय किया ज़ा सकता है।

3. उक्त पत्र के कंडिका-5 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष-204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं0- 35 एवं विपत्र कोड- **N/3454022040002** है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 45 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना, संबंधित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे ।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रुप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होगें।

9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधी निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित पत्रांक- एम-4-09/2014-2793 दिनांक 04.04.2016 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन
ह०/-
निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक ..../पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
निदेशक

ज्ञापांक ..../पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि: 1. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना

ह०/-
निदेशक

ज्ञापांक ....15........................../पटना, दिनांक...02/12/16..............

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।
2. संयुक्त निदेशक (योजना)/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

2/12/16
निदेशक

<u>आबंटन विवरणी</u>

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, 0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-N/3454022040002

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01 02 विशेष वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य भत्ता	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 चि0 प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 वर्दी/ पोशाक	14-01 किराया महसूल एवं कर	16-01 प्रकाशन एवं मुद्रण	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	अर्थ एवं सांख्यिक निदेशालय	-	-	-	-	20000	-	38000	58000	200000	50000	-	-	25000	-	10000	-	-	-	100000	-	443000
प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) कार्यालय																						0
2	पटना	-	-	-	-	-	-	1360	1360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10000	-	11360
3	मुजफ्फरपुर	-	-	-	-	-	8000	2160	10160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	15160
4	गया	-	-	-	-	-	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	5800
5	दरभंगा	37000		595000	110000	-	-	-	742000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	747000
6	सारण	252000		336000	26000		1600		615600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	620600
7	सहरसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	5000
जिला सांख्यिकी कार्यालय																						0
8	पटना	-	-	-	-	-	16200	-	16200	-	8000	-	-	-	-	-	-	-	-	10000	-	34200
9	नालंदा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	10000	-	16000
10	भोजपुर	1000	-	1400	38000	-	-	-	40400	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	10000	-	56400
11	बक्सर	-	-	-	-	-	2400	-	2400	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	10000	-	18400
12	रोहतास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	10000	-	16000
13	कैमूर(भभुआ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	11000
14	गया	-	-	-	-	-	2400	-	2400	-	8000	-	-	-	-	-	-	-	-	11000	-	21400
15	अरबल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	9000
16	जहानाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	9000
17	नवादा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	11000
18	औरंगाबाद	330000	-	550000	32000	-	4000		916000	420000	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	1347000
19	मुंगेर	300000	-	500000	-	-	3600	2500	806100	-	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	817100
20	लखीसराय	346840	-	468240	34500	-	2600	-	852180	-	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	861180

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01 02 विशेष वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य भत्ता	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 चि० प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 वर्दी/ पोशाक	14-01 किराया महसूल एवं कर	16-01 प्रकाशन एवं मुद्रण	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
21	जमुई	50000	–	–	5000	–	1000	–	56000	–	4000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	65000
22	शेखपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	9000
23	बेगुसराय	–	–	25000	–	–	–	–	25000	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	36000
24	खगड़िया	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	9000
25	भागलपुर	–	–	30000	–	–	–	–	30000	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	10000	–	46000
26	बांका	200000	–	250000	20000	–	2400	–	472400	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	483400
27	पूर्णियाँ	100000	–	131000	10000	–	4000	–	245000	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	10000	–	261000
28	अररिया	–	–	–	–	–	1000	–	1000	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	12000
29	किशनगंज	–	–	–	–	–	1000	–	1000	–	4000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	10000
30	कटिहार	–	–	–	–	–	–	–	0	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	11000
31	सुपौल	700000		900000	70000		8000	–	1678000	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	1689000
32	मधेपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	11000
33	दरभंगा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6000	–	–	–	–	–	–	125000	–	10000	–	141000
34	मधुबनी	–	–	–	–	–	–	2300	2300	–	8000	–	–	–	–	–	–	–	–	10000	–	20300
35	समस्तीपुर	200000		280000	2000	–	–	–	482000	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	493000
36	मुजफ्फरपुर	300000	–	375000	30000	–	3600	–	708600	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	10000	–	724600
37	सीतामढ़ी	1000	–	1000	–	–	–	–	2000	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	10000	–	18000
38	शिवहर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	9000
39	सहरसा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	9000
40	पूर्वी चम्पारण	1000	–	1000	500	–	–	–	2500	–	8000	–	–	–	–	–	–	–	–	10000	–	20500
41	प० चम्पारण	200000	–	260000	10000	–	1000	–	471000	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	482000
42	वैशाली	1000	–	–	–	–	–	–	1000	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	12000
43	सारण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	5000	–	11000
44	सिवान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	10000	–	16000
45	गोपालगंज	400000	–	550000	40000	–	8000	1000	999000	–	6000	–	–	–	–	–	–	–	–	10000	–	1015000
	कुल योग:-	3419840	0	5253640	428000	20000	71600	47320	9240400	620000	268000	0	0	25000	0	10000	0	125000	0	401000	0	10689400

(एक करोड़ छः लाख नवासी हजार चार सौ रुपये मात्र)

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय